संख्या- 02 /2022/275जेएल/22-3-2022-100(1)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

*कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3* *लखनऊ:* दिनांक: 02 मार्च, *2022*

विषय- जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध रोबकार बंदी/कन्टेमनर विक्रम शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6403/सामा-1(1)/रोबकार बंदी/कन्टेमनर विक्रम/2022, दिनांक 28-02-2022 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं किए गए अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवमानना प्रार्थना पत्र (क्रिमिनल) संख्या-18/2018 इनरी बनाम विक्रम शर्मा (क्लर्क) में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-02-2022 के अनुपालन में जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध रोबकार बंदी/कन्टेमनर विक्रम शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित 409ए के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-02 /2022/275जेएल (1)/22-3-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर / प्रयागराज।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर / प्रयागराज।
5- अधीक्षक, जिला कारागार, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार बुलन्दशहर से केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in